

प्रारूप-पाँच
[नियम 15(2)(क) देखिए]

पत्रकारों के लिए आवास गृह आवंटन के लिये आवेदन-पत्र

(आवेदन-पत्र जनसम्पर्क संचालनालय के माध्यम से प्रेषित किया जाय)

1. नाम
2. वर्तमान पता
3. अधिकार पत्र में वर्तमान धारित पद
4. समग्र वेतन (पिछले तीन माह की वेतनपच्ची संलग्न करें)
5. कब से श्रमजीवी पत्रकार है?
6. भोपाल में कब से श्रमजीवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं
7. समाचार-पत्र, जिससे वर्तमान में संबंधित हैं एवं इस पत्र में रिक्त दिनांक से कार्यरत हैं।
8. क्या अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार हैं? यदि हां तो किस अवधि तक नवीनीकृत है।
9. क्र. 7 पर दर्शाया पत्र / समाचार-पत्र / पत्रिका, दैनिक / साप्ताहिक / पाक्षिक / मासिक किस प्रकार का है।
10. क्या आवेदक को शासकीय आवास गृह रहवासी प्रयोजन के लिये चाहिये?
11. आवेदक के स्वयं के नाम पर या आवेदक के परिवार के नाम पर भोपाल नगर निगम सीमा में कोई मकान है अथवा नहीं पूर्ण विवरण दिया जावे।
12. यदि आवेदक, उसकी पत्नी / पति या परिवार के किसी सदस्य के पास पूर्व से शासकीय आवास है अथवा उनके नियोक्ता के द्वारा उपलब्ध कराया गया मकान है तो उसका विवरण।

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का पूरा नाम

दूरभाष क्रमांक

निम्नलिखित प्रविष्टियां आयुक्त, जनसम्पर्क द्वारा पूर्ण की जावें :-

- (1) श्री / श्रीमती / कु. श्रमजीवी पत्रकार एवं समाचार-पत्र मान्यता प्राप्त है।
- (2) आवेदक द्वारा बिन्दु 3, 6 से 9 तक दी गई जानकारी प्रमाणित / अप्रमाणित की जाती हैं।
- (3) अन्य कोई टिप्पणी, जो विषय से संबंधित हों :

उपरोक्तानुसार आवेदन-पत्र गृह विभाग को अग्रेषित।

आयुक्त,
जनसम्पर्क (पदमुद्रा सहित)